न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – हिमांशु गर्ग, RJS
फौजदारी प्रकरण संख्या – 137/2016
सी.आई.एस. नंबर – 137/2016
एफ.आई.आर. संख्या – 43/2016, पुलिस थाना बागोर
CNR No. – RJBW170001552016

राज्य

–– अभियोगी

– विरूद्ध –

अशोक पिता भैरुलाल सांसी उम्र 40 साल निवासी पट्टी मार्केट, भीलवाड़ा थाना भीमगंज, भीलवाड़ा।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थितः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री विशाल क्षोत्रिय, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय –

दिनांक– 07–03–2026

घटना की दिनांक	19.05.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	19.05.2016
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	14.06.2016
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	24.11.2021
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	24.11.2021
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	27.11.2025, 06.03.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	06.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	06.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	परिवीक्षा का लाभ दिया गया

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहदेव ने रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 19.05.2016 को कस्बा बागोर से समय 9.00 पी.एम पर जरिये टेलीफोन एसएचओ साहब को इत्तिला मिली कि तेजाजी चौक के पास में लड़ाई –झगड़ा हो रहा है तथा एक व्यक्ति नंगी तलवार हाथ में लेकर लोगों को डरा रहा है तथा आपस में किसी के उपर हमला कर मार सकता है, मौके पर आये। टेलीफोनकर्ता का नाम पता पूछा तो टेलीफोन काट दिया। वगैरा इत्तिला मोमीन होने से एसएचओ सहदेव सिह मय नारायण लाल 783 कानि0 महेन्द्र कानि0 880 मय जीप सरकारी के तेजाजी चोक के पास समय 9.10 पी एम पर पहुंचा जहां काफी भीड़ ईकट्ठी हो रही थी तथा एक व्यक्ति नंगी तलवार हाथ में लेकर लोगो को डरा रहा था जिसे घेरा देकर पकड़ा व नाम पता पुछा तो अपना नाम अशोक

होना बताया। अशोक सासी के दाहिने हाथ में मिली तलवार को कब्जे पुलिस लेकर चेक किया गया गया तो तलवार के फल कि लम्बाई 23 ईचं होकर एक तरफ धार लगी हो एक लोहे का मूठिया 4 ईच लगा मिला। जिस पर उक्त शख्स से तलवार को अपने कब्जे मे रखने व परीवहन करने बाबत लाईसंस मागां तो अपने पास कोई लाईसेंस नही होना बताया अशोक सांसी द्वारा एक तलवार अवैध रूप से अपने कब्जे में रखना जुर्म धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मोके पर स्वतंत्र गवाह नही होने से हमरा जाप्ते में से कानि० नारायण लाल 783, कानि0 महेन्द्र कानि0 880 के समक्ष तलवार को वजह सबूत कब्जे पुलिस ली जाकर जरिये फर्द जप्त कि व चिट चस्पा की गई ....आदि। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 43/2016 थाना बागोर अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त अशोक पिता भैरुलाल सांसी के विरुद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट माण्डल में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2016 को अभियुक्त अशोक पिता भैरुलाल सांसी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक स्था./2017/62, दिनांक 19.08.2017 से यह पत्रावली न्यायालय श्रीमान् सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल से न्यायालय हाजा में स्थानांतरित की गई।

3- अभियुक्त अशोक पिता भैरुलाल सांसी को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	प्यारचंद	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 02	नारायणलाल	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अशोक, फर्द जप्ती तलवार, फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 03	सुखदेव	फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 04	डॉ अरुण भण्डारी	चोट प्रतिवेदन व नशा शराब रिपोर्ट मुल्जिम अशोक
पी.डब्ल्यू. 05	महेंद्र	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अशोक, फर्द जप्ती तलवार
पी.डब्ल्यू. 06	मोहम्मद जाबीर	चार्जशीट कत्ता करना
पी.डब्ल्यू. 07	हरदेव लाल	जप्तशुदा तलवार को जमा मालखाना करना
पी.डब्ल्यू. 08	सहदेव सिंह	परिवादी

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	फर्द नक्शा नजरी एवं याददास्त मौका
02	प्रदर्श पी 02	फर्द जप्ती
03	प्रदर्श पी 03	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त अशोक
04	प्रदर्श पी 04	मुल्जिम का नशे शराब व मेडिकल मुआयना करवाने बाबत् तहरीर

05	प्रदर्श पी 05	अंतिम रिपोर्ट
06	प्रदर्श पी 06	असल मालखाना रजिस्टर
07	प्रदर्श पी 06 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति

आर्टिकल

क्र. सं.	आर्टिकल	विवरण
01	आर्टिकल 1	जंग लगी तलवार

4– अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताया तथा स्वयं का निर्दोष होना बताकर कथन किया कि मंदिर के अंदर पुजा करने के लिए तलवार पर लच्छा बांधकर पुजा कर रहे थे तब पुलिस वाले तलवार उठाकर ले गये थे। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

5– अभियुक्त ने अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

6– बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1– क्या दिनांक 19.05.2016 को समय 9.10 पी.एम पर तेजाजी चौक के पास अभियुक्त अशोक के सचेत व संज्ञान कब्जे से एक तलवार के फल की लंबाई 23 ईंच होकर एक तरफ धार लगी हो एक लोहे का मूठिया 4 इंच लगा मिला जिसको कब्जे में रखने व परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस नहीं था?

2– यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा ?

7– उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

8– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को झूंठा फंसाये जाने का कथन किया एवं बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभाष है। प्रकरण में तथ्यों को छिपाया गया है। प्रकरण में जप्ती का कोई भी स्वतंत्र गवाह नही है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से राज्य सरकार की अधिसुचना को भी प्रदर्शित नही कराया गया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9– सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

10– सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समग्र रूप से विश्लेषण करें तो प्रकरण में कुल 08 गवाह परीक्षित हुए हैं।

11– पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि रिपोर्ट सहदेव द्वारा दर्ज करवायी गयी है। सहदेव ने स्वयं के साथ मौके पर नारायणलाल व महेंद्र को होना बताया है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्ल्यू 08 सहदेव सिंह के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 08 सहदेव सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 19.05.2016 को थाना बागोर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन जरिये फोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लेकर लोगों को डरा रहा है , हमला कर सकता है। इत्तिला पर वह मय जाप्ता नारायणलाल कानि., महेंद्र कानि मय सरकारी जीप तेजाजी चौक बागोर के पास पहुंचा जहां काफी भीड़ हो रही थी और एक आदमी हाथ में नंगी तलवार लेकर लोगों को डरा रहा था जिसे उसने मय जाप्ता ने घेरा देकर पकड़ा। उस आदमी से नाम

पता पूछा तो उसने अपना नाम अशोक पिता भैरुलाल सांसी उम्र 40 साल निवासी पट्टी मार्केट भीलवाड़ा, थाना भीमगंज होना बताया। अशोक सांसी के दाहिने हाथ में तलवार जिसे कब्जे पुलिस लिया गया। उक्त तलवार अपने कब्जे में रखने बाबत् लाइसेंस होना मांगा था तो लाइसेंस नहीं होना बताया। तलवार के फल की लंबाई 23 ईंच धारदार व मुठिया 4 ईंच का लगा मिला। मौके पर स्वतंत्र गवाहन बनने को तैयार नहीं होने पर कानि महेंद्र कुमार, नारायणलाल को गवाह मामुर कर तलवार को कब्जे पुलिस ली जाकर तलवार को कपड़े में चिटसिल्ड कर मुल्जिम को 41 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाकर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 3 है। फर्द जप्ती एवं तलाशी प्रदर्श पी 2 है। वापसी थाना पर मुकदमा नंबर 43/2016 दर्ज कर अनुसंधान प्यारेलाल हैड कानि को सुपुर्द किया था। प्यारेलाल द्वारा दौराने अनुसंधान दिनांक 20.05.2016 को नक्शा मौका घटनास्थल उसकी निशांदेही से तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी 01 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि वे घटनास्थल पर दिनांक 19.05.2016 को 09.10 पीएम पर पहुंच गये थे। उन्हें जरिये टेलीफोन सूचना मिली थी जिस इत्तिला पर वे गये थे। फोन किसने किया यह वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि जहां से तलवार जप्त की थी वहां बहुत से लोग बाग आते जाते है। यह कहना सही है कि गांववालों द्वारा गवाह बनने को सहमति नहीं मिलने पर पुलिसवालों को गवाह मामूर किया गया था। यह कहना गलत है कि तलवार को मौके पर जप्त नहीं की हो। जप्ती पर कानि नारायण कुमार व कानि महेंद्र कुमार के हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि जप्तशुदा तलवार बाजार में आसानी से तो नहीं मिल सकती। तलवार के मुंठ की साईज 4 इंच थी। तलवार पुरानी धारदार थी। ये कहना सही है कि धार पर जंग लग रही थी। यह कहना सही है कि तलवार को सफेद कपड़े में सिलचिट किया गया था। मुल्जिम तलवार को माताजी की पूजा करने के लिए ले जा रहा हो तो इसकी उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि तलवार को किसी देवता के स्थान से जप्त नहीं किया गया था।

12- गवाह पीडब्ल्यू 08 सहदेव ने घटना के समय स्वयं के साथ मौके पर नारायणलाल व महेंद्र की उपस्थिति बतायी है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्ल्यू 02 नारायणलाल के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 02 नारायणलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 19.05.2016 को थाना बागौर पर कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह, सहदेव सिंह थानाधिकारी मय जाब्ता के मुताबिक इत्तला तेजाजी चौक कस्बा बागौर पहुंचे जहां एक व्यक्ति नंगी धारद्वार तलवार लेकर लोगों को डरा रहा था जिस पर थानाधिकारी मय हम जाब्ता ने पकड़ा व नाम पता पूछा तो अपना नाम अशोक पिता भैरूलाल सांसी निवासी पट्टी मार्केट भीलवाड़ा होना बताया। अशोक सांसी के दाहिने हाथ में मिली धारदार तलवार को मौके पर वजह सबूत जब्त कर मुलजिम अशोक को मौके पर गिरफतार किया गया। मुलजिम को लेकर थाना उपस्थित आये। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 है। मुलजिम अशोक की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 3 है। घटनास्थल नक्शामौका प्रार्थी सहदेव की निशांदेही से आईओ प्यारचंद हेड कानि द्वारा मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 1 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि जरिये फोन थाने पर इत्तला मिली। फोन करने वाला कौन था ये उसे नहीं पता। वो आदमी किससे झगड़ा कर रहा था, ये उसे नहीं पता पर भीड़ इक्टठी हो रखी थी। ये उसकी जानकारी में नहीं है कि एसएचओ सहदेव सिंह जी ने अभियुक्त को मौके पर जब नाम पते पूछे तो वह भीलवाड़ा का निवासी होकर मौका वारदात पर वो क्या कर रहा है, ये पूछा या नहीं पूछा उसकी जानकारी में नहीं है। ये उसकी जानकारी में नहीं है कि अभियुक्त अशोक ने थानेदार सहदेव सिंह जी को ये कहा हो कि वह सुखदेव उसके रिश्तेदार के यहां सगाई के कार्यक्रम में आया है। उसने शराब पी रखी थी, लड़ाई-झगड़े की उनको सूचना नहीं थी। जब वे वहां पहुंचे तो वहां भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, उसमें सुखदेव और उनके रिश्तेदार हों तो उसकी जानकारी में नहीं है। ये कहना गलत है कि उस समय अभियुक्त अशोक के पास कोई धारदार हथियार ना हो। ये कहना गलत है कि अशोक के रिश्तेदार सुखदेव के कहने से उसके द्वारा तलवार मंगवाने पर अशोक के उपर

झूठा मुकदमा लगाया हो। ये कहना गलत है कि तलवार धार ना हो परन्तु पुरानी जरूर थी। ये कहना सही है कि तलवार को म्यान सहित उन्होंने जब्त नहीं किया। ये कहना गलत है कि प्रदर्श पी 1 लगायत 3 पर उसके हस्ताक्षर एसएचओ साहब के कहने से किये हों और मौके पर न गया हो। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 लगायत 3 पर एसएचओ साहब ने किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराये।

13- गवाह पीडब्ल्यू 08 सहदेव ने घटना के समय स्वयं के साथ मौके पर नारायणलाल व महेंद्र की उपस्थिति बतायी है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्ल्यू 05 महेंद्र के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 05 महेंद्र ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 19.05.2016 को थाना बागौर में कानि 880 के पद पर कार्यरत था। उस दिनांक 19.05.2016 को समय 09 बजे रात्रि थाना हाजा पर जरिये टेलीफोन सुचना मिली की कस्बा बागौर में लडाई झगडा हो रहा है। पुलिस भिजवावें वगैरा सुचना पर थाने से थानाधिकारी सहदेव सिंह कानि नारायण लाल और वह जीप सरकारी जाप्ता के रवाना हो कस्बा बागौर पहुंचे जहां पर काफी भीड भाड हो रही थी। वहां पर एक आदमी हाथ में तलवार लिये हुए लहरा रहा था। जिसको पुलिस जाप्ता ने पकड़ कर नाम पता पूछा तो अपना नाम अशोक पिता भैरू लाल सांसी निवासी पटटी मार्केट भीलवाड़ा बताया। तलवार के बारे में लाईसेंस व परमिट अपने पास रखने का मांगा तो नहीं होना बताया। मुलजिम का उक्त कृत्य 4/25 आर्म्स एक्ट के वकु में आने से थानाधिकारी ने नाम पद का परिचय देते हुए मुलजिम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया जो प्रदर्श पी 03 है। प्रदर्श पी 02 फर्द जप्ती तलवार पर उसके हस्ताक्षर है। पर्चा कायमी पर प्रकरण संख्या 43/2016 दर्ज किया गया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि थाना हाजा पर जरिये टेलीफोन सुचना मिली थी। सुचना देने वाले ने अपना नाम पता नहीं बताया था। सुचना 09 बजे मिली थी और वे मौके पर 09.10 बजे पीएम पहुंच गये थे। यह कहना सही है कि जब वे वहां पहुंचे तो भीड भाड हो रही थी मुलजिम लडाई झगडा नहीं कर रहा था। यह कहना गलत है कि मौके पर उन्होंने मौके पर मुलजिम के हाथ में तलवार नहीं देखी थी। मौके पर उन्होंने जब देखा तो मुलजिम के दायें हाथ में तलवार थी। यह कहना सही है कि जप्त सुदा जैसी अन्य तलवारें बाजार में आसानी से मिल जाती है। जप्तशुदा तलवार की मूठ की साईज आज उसे याद नहीं। जप्तशुदा तलवार की फल की लंबाई 23 इंच थी। जप्तशुदा तलवार को मौके पर ही इंचिटेप से नापा था। इंन्वेस्टिगेशन बोक्स साथ में रहता है। तलवार का फल जंग खा रहा हो तो आज उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि तलवार तीखा व धारधार नहीं था। यह कहना गलत है कि मुलजिम को थाने पर ला कर गिरफ्तार किया था। यह कहना सही है कि फर्द गिरफतारी में गवाह केवल पुलिस वाले ही हे। स्वतंत्र व्यक्तिओं ने गवाह बनने से इंकार किया था।

14- गवाह पीडब्ल्यू 07 हरदेव लाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 19.05.2016 को थाना बागौर में एचएम मालखाना इचार्ज के पद पर तैनात था। उस रोज जब्ती अधिकारी एसएचओ साहब श्री सहदेव सिंह द्वारा मुलजिम अशोक सांसी के कब्जे से जब्तशुदा तलवार सिलचिट बंद लाकर जमा मालखाना करवायी। जिसको उसने मालखाना के रजिस्टर के क्रम संख्या 41/16 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया। मालखाना रजिस्टर असल प्रदर्श पी 06 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 06ए है। प्रकरण में जब्तशुदा तलवार मय चिट चस्पा मय सीलशुदा अवस्था में न्यायालय में हाजिर अदालत सफेद कपडे की थैली में पेश है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया। सफेद कपडे की थैली को खोलने पर उसके अंदर से एक जंग लगी तलवार निकली जो आर्टिकल 01 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि तलवार को उसके सामने जब्त नहीं किया था। यह कहना गलत है कि उसके सामने सिलचिट अवस्था में लाकर नहीं दी हो। यह कहना सही है कि तलवार जिस सफेद कपडे की थैली में बंद है उस पर लगे चेपे पर उसके द्वारा मुकदमा नंबर नहीं लिखे गये। यह कहना सही है कि चेपे पर जप्ती अधिकारी, मुलजिम या गवाहों के नाम व

हस्ताक्षर नहीं है। अजखुद कहा कि आज नहीं है। यह कहना सही है कि जप्तशुदा तलवार को जब जमा मालखाना किया था तब उस पर लगे चेपे पर जब्ती अधिकारी, मुलजिम व गवाहों के हस्ताक्षर थे। गवाहों के नाम आज उसे याद नहीं है। तलवार पर पहले जो हस्ताक्षर शुदा चिट चेपा लगा हुआ था वो आज कहां है उसे नहीं पता। यह कहना सही है कि तलवार के हत्थे व तलवार पर पूजा का मोटा कलाई डोरा बंधा हुआ है। यह वह तलवार देख कर नहीं बता सकता कि तलवार पर तिलक लगा हुआ है या नहीं। अजखुद कहा कि तलवार जंग लगी हुई है।

15- गवाह पीडब्ल्यू 03 सुखदेव ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 1 हैं। तेजाजी चौक में पुलिस वालों ने मौके की कार्यवाही करी थी। नारायण जी पुलिसवाले वहीं थे, एक और पुलिसवाले साथ थे। दिनाक 20.05.2016 को कार्यवाही हुई थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि तेजाजी चौक में शाम को 06-06:30 बजे की बात है। वहां मौके पर पुलिसवाले थे, एक वह था। मौके पर अशोक नहीं था। यह कहना सही है कि अशोक से उसका झगडा हुआ था। यह कहना गलत है कि नक्शामौका प्रदर्श पी 1 पर हस्ताक्षर उसने थाने में किये हों, बल्कि जहां मौके की कार्यवाही हुई थी, वहां पर हस्ताक्षर किये थे।

16- गवाह पीडब्ल्यू 01 प्यारचंद ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 20.05.2016 को वह थाना बागौर एच सी के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 43/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट वास्ते तफतीश उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान गवाह सहदेव, नारायणलाल और महेन्द्र कुमार के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 20.05.2016 को घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी 01 है। संपूर्ण अनुसंधान के मुलजिम अशोक कुमार पुत्र भैरूलाल सांसी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र बाद अनुसंधान उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि स्वतंत्र मौतबीर कोर्ट में पेशी पर आने के डर से बयान देना नहीं चाहते थे। यह कहना गलत है कि संपूर्ण कार्यवाही थाने में ही बैठकर की अज खुद कहा कि नक्शा मौका बनाने मौके पर गया व शेष अनुसंधान थाने पर ही किया। यह कहना सही है कि जहां नक्शा मौका बनाया वहां लोग आते जाते रहते हैं। यह कहना गलत है कि तलवार धारदार नहीं हो। यह कहना सही है कि तलवार उसके सामने सील चिट नहीं की। यह कहना सही है कि जहां नक्शा मौका बनाया वहां मुलजिम नहीं था अज खुद कहा कि प्रार्थी व मौतबीरान थे।

17- गवाह पीडब्ल्यू 04 डॉ अरुण भण्डारी ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 19.05.2016 को बागौर के सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापपित था। उस दिन पुलिस थाना बागौर की तहरीर प्रदर्श पी 4 पर मुलजिम अशोक पुत्र भैरूलाल का मेडिकल मुआयना किया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 पर ही उसने मुलजिम अशोक का मेडिकल मुआयना कर अपनी रिपोर्ट अंकित की थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में क.सं. 01 पर नाक के उपर खरोंच दो गुणा दो सेमी. थी। कं. स. 02 पर बाईं आंख के पास खरोंच दो गुणा दो सेमी सामान्य प्रकृति की थी। क.सं. 03 पर अशोक के शराब के प्रभाव में होने का अंकन है जिसमें अशोक की जुबान के लड़खड़ाने, चलते समय लड़खड़ाने और सांसों से शराब की बदबू आने का अंकन है। प्रदर्श पी 4 में उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अंत में उसके हस्ताक्षर हैं। अशोक का मेडिकल उसने दिनांक 19.05.2016 को रात 10:20 पीएम पर किया था। इस रिपोर्ट के नीचे मुलजिम अशोक ने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 4 में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये चोटें कितनी पुरानी हैं। ये कहना गलत है कि ये मेडिकल उसने थाने में बैठकर बनाया था। ये कहना सही है कि प्रदर्श पी 4 में ये कहीं नहीं दर्शाया गया है कि मुलजिम ने कितनी मात्रा में शराब पी रखी थी। ये कहना सही है कि उक्त जो चोटें लगी हैं, वो गिरने पड़ने से भी आ

सकती हैं। ये कहना सही है कि मारपीट उसके सामने नहीं हुई थी।

18– गवाह पीडब्ल्यू 06 मोहम्मद जाबीर ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 30.05.2016 को थाना बागोर में प्रभारी थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिनांक को प्यारचंद हेड कानि. द्वारा प्रकरण संख्या 43/2016 अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बाद तफतीश मुलजिम अशोक सांसी के विरूद्ध नतीजा आदेश प्राप्त करने हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर उसने श्रीमान सीओ साहब माण्डल से नतीजा आदेश प्राप्त कर चार्जशीट नं० 28/16 माननीय न्यायालय में कानूनी समायात हेतु पेश की जो प्रदर्श पी 5 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि ये बात सही है कि उक्त तफतीश उसके द्वारा नहीं की गई। ये तफतीश प्यारचंद के द्वारा पेश की गई है। ये कहना गलत है कि उसने झूठी चार्जशीट पेश की है।

19– उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य का विश्लेषण करने से जाहिर होता है कि प्रकरण में रिपोर्ट गवाह पीडब्लयू 08 सहदेव द्वारा दर्ज करवायी गयी है। इस संदर्भ में गवाह पीडब्लयू 08 सहदेव के बयानों का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्लयू 08 सहदेव ने दिनांक 19.05.2016 को थाना बागोर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत होने, जरिये फोन उसे एक व्यक्ति का नंगी तलवार लेकर लोगों को डराने बाबत् सूचना मिलने, जिस पर उसका मय जापता नारायण व महेंद्र के साथ तेजा जी चौक के पास पहुंचने, वहां पर एक व्यक्ति का हाथ में नंगी तलवार लेकर लोगों को डराने, उसको घेरा देकर नाम पता पूछने पर अपना नाम अशोक पिता भैरुलाल सांसी निवासी पट्टी मार्केट भीलवाड़ा थाना भीमगंज होना बताने, उसके पास तलवार को अपने कब्जे में रखने बाबत् लाइसेंस नहीं होने , तलवार के फल की लंबाई 23 ईंच धारदार व मुठिया चार इंच का लगा होने, स्वतंत्र गवाह नहीं होने से महेंद्र व नारायणलाल को गवाह मामूर कर तलवार को कपड़े में सीलचीट करने व अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि गांव वालों द्वारा गवाह बनने की सहमति नहीं मिलने पर पुलिस वालों को गवाह मामूर किया था। यह कहना गलत है कि तलवार को मौके पर जप्त नहीं किया था। तलवार पुरानी धारदार थी। यह कहना सही है कि तलवार को सफेद कपड़े में सीलचीट किया था। इस प्रकार गवाह पीडब्लयू 08 सहदेव ने मौके से अभियुक्त अशोक के कब्जे से धारदार तलवार बरामद होने का कथन किया है। गवाह पीडब्लयू 02 नारायणलाल व पीडब्लयू05 महेंद्र ने संपुर्ण कार्यवाही की पुष्टि कर उनके समक्ष अभियुक्त अशोक के कब्जे से धारदार तलवार जप्त होने का कथन किया है। गवाह पीडब्लयू 03 सुखदेव ने फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त गवाहों से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विस्तृत जिरह की गई परंतु दौराने जिरह गवाहों की मुख्य परीक्षा में अभियुक्त अशोक के कब्जे से धारदार तलवार बरामद होने बाबत् साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

20– गवाह पीडब्लयू 07 हरदेव ने दिनांक 19.05.16 को सहदेव सिंह के द्वारा एक जप्तशुदा तलवार सिलचिट बंद लाकर जमा मालखाना करने जिसे उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के क्रम सं. 41/16 पर जमा मालखाना करने का कथन किया है। उक्त गवाह के समक्ष आर्टिकल 1 जंग लगी तलवार पेश हुई। गवाह पीडब्लयू 04 डॉ अरुण ने दिनांक 19.05.16 को स्वयं का बागोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित होकर अभियुक्त अशोक का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी 4 करने एवं अशोक की जबान लड़खड़ाने, चलते समय लड़खड़ाने और श्वासों से शराब की बदबू आने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त जो चोटें लगी वो गिरने–पड़ने से भी आ सकती है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 4 में यह कहीं नहीं दर्शाया है कि मुल्जिम ने कितनी मात्रा में शराब पी रखी थी। इस प्रकार गवाह पीडब्लयू 04 डॉ अरुण ने अभियुक्त अशोक के चोटें गिरने–पड़ने से भी आ सकने का कथन किया है। गवाह पीडब्लयू 1 प्यारचंद को अनुसंधान अधिकारी के तौर पर परिक्षित करवाया है। उक्त गवाह ने अनुसंधान के दौराने गवाहों के बयान लेखबद्ध करने, नक्शा मौका मुर्तिब करने एवं अनुसंधान बाबत् औपचारिक कथन न्यायलय के समक्ष किये है। गवाह पीडब्लयू 06

मोहम्मद जाबीर ने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश करने के कथन किये है।

21– दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि स्वतंत्र साक्षी नहीं होने के कारण तलवार की जब्ती प्रदर्श पी.2 दूषित हो जाती है। इस सम्बन्ध में विचार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय ए.आई.आर.2010 एस.सी. 762 मुसीर खान उर्फ बादशाह खान व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. जिसका अनुसरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2014) 12 एस.एस.सी. 419, मधु बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं ;(2013)14 एस.एस.सी. 434 रोहिताश कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में भी किया है, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि जप्ती अन्य सभी प्रकार से विश्वसनीय है तो उस पर मात्र स्वतंत्र गवाह की सम्पुष्टि के अभाव के आधार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बरामदगी के सम्बन्ध में पत्रावली पर गवाह पीडब्लयू 02 नारायणलाल, पीडब्लयू 05 महेंद्र की सुदृढ़ प्रकृति की साक्ष्य विद्यमान है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। साथ ही विधि की यह सुस्पष्ट स्थिति है कि पुलिसकर्मियों की साक्ष्य की वैसी ही उपधारणा की जानी चाहिए जैसी कि अन्य गवाह की साक्ष्य की की जाती है। विभागीय गवाहान की साक्ष्य को तब तक विश्वसनीय माना जाना चाहिए जब तक कि ऐसी साक्ष्य को नहीं माने जाने का कोई ठोस कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं हो। यह भी कटु सत्य है कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति पुलिस व न्यायालय की कार्यवाही में स्वेच्छया भाग नहीं लेना चाहता है। जहां तक आरोपी से की गयी बरामदगी का प्रश्न है तो पत्रावली के अवलोकन से पीडब्लयू 02 नारायणलाल, पीडब्लयू 05 महेंद्र की साक्ष्य एक सार होकर उनमें कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। यद्यपि यह सही है कि उक्त गवाहान पुलिस के कर्मचारी हैं परन्तु उक्त गवाहान से अभियुक्त की कोई रंजिश रही हो, ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। यहां तक कि अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के दौरान भी ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उक्त पुलिस कर्मचारीगण से उसकी कोई रंजिश रही हो। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

22– अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त तो मंदिर के अंदर तलवार पर लच्छा बांधकर पुजा कर रहा था तब पुलिस वाले तलवार उठाकर ले गये। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि पत्रावली पर अभियुक्त की ओर से इस बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि वक्त घटना मुल्जिम मंदिर के अंदर तलवार पर लच्छा बांधकर पुजा कर रहा हो इस संबंध में न तो साक्ष्य सफाई में स्वयं मुल्जिम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर परिक्षित हुआ है और न ही वक्त घटना मुल्जिम का मंदिर के अंदर तलवार की पुजा करने के तथ्य की पुष्टि हेतु अन्य कोई गवाह अभियुक्त की ओर से पेश होकर परिक्षित हुआ है। पत्रावली में प्रदर्शित नक्शे मौके प्रदर्श पी 3 में घटनास्थल तेजाजी चौक बागोर होना बताया है नक्शा मौका में ऐसे किसी मंदिर को भी नहीं दर्शा रखा है। अधिवक्ता अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वक्त घटना मुल्जिम कौन से मंदिर में व कहां पर तलवार पर लच्छा बांधकर पुजा कर रहा था। प्रकरण में मुल्जिम अशोक सांसी के द्वारा शराब पीकर हाथ में नंगी तलवार लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करने और लड़ाई – झगड़ा करने से मुल्जिम के शरीर पर चोटें आना व चोटों का मेडिकल होना अंकित है। इस संबंध में पत्रावली में अभियोजन की ओर से परिक्षित गवाह पीडब्लयू 03 सुखदेव ने अपने बयानों में अशोक से उसका झगड़ा होने और नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किये है। प्रकरण में मुल्जिम अशोक का मेडिकल करने वाले चिकित्सक डॉ. अरुण भंडारी ने बतौर गवाह पीडब्लयू 04 दिनांक 19.05.2016 को पुलिस थाना बागोर की तहरीर प्रदर्श पी 4 पर मुल्जिम अशोक का मेडिकल मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करने व मुल्जिम के नाक के उपर, बांयी आंख के पास खरोंच आने व मुल्जिम अशोक का शराब के प्रभाव में होने से जुबान लड़खड़ाने, चलते समय लड़खड़ाने व श्वासों से बदबु आने का अंकन है। यह घटना दिनांक 19.05.2016 की बतायी है और उसी दिन मुल्जिम अशोक का मेडिकल हुआ है। ऐसे में मुल्जिम अशोक की मेडिकल रिपोर्ट से वक्त घटना मुल्जिम का

नशे में होकर शरीर पर आयी चोटों से घटना की दिनांक व समय की स्पष्ट पुष्टि होती है। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि वक्त घटना मुल्जिम मंदिर के अंदर तलवार पर लच्छा बांधकर पुजा कर रहा हो और तब पुलिस वाले तलवार उठाकर ले गये हो माने जाने योग्य नहीं है।

23– अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा राज्य सरकार की अधिसुचना को पत्रावली पर प्रदर्शित नही करवाया है जिस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर है कि पत्रावली में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को अभियोजन द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाया है। इस संबध में धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना न्यायिक अन्वीक्षा योग्य है। उक्त अधिसूचना के तहत 10.16 सेमी. से अधिक के फल की लम्बाई वाले कोई भी धारदार हथियार बिना वैध अनुज्ञा–पत्र के अपने कब्जे में नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कोई भी हथियार जो औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि या घरेलू प्रयोजनों के लिये बनाये गये हों, अपने कब्जे में उक्त प्रयोजनार्थ रखे जा सकते हैं। हस्तगत मामले में अभियुक्त का अपने धारा 313 द.प्र.स. के स्पष्टीकरण में या अन्यथा ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि उसके द्वारा प्रश्नगत तलवार किसी औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिये ले जाया जा रहा हो। ऐसी स्थिति में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्वीकृत स्थिति दर्शित होती है कि अभियुक्त द्वारा 10.16 सेमी. से अधिक फल की लम्बाई वाली धारदार तलवार को अपने कब्जे में बिना वैध अनुज्ञा–पत्र के रखा गया। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उनकी कोई सहायता नहीं करता है।

24– पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित हुआ है कि दिनांक 19.05.2016 को समय 9.10 पी.एम पर तेजाजी चौक के पास अभियुक्त अशोक के सचेत व संज्ञान कब्जे से एक तलवार के फल की लंबाई 23 ईंच होकर एक तरफ धार लगी हो एक लोहे का मूठिया 4 इंच लगा मिला जिसको कब्जे में रखने व परिवहन करने का अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस नहीं था। एतद्द्वारा अभियुक्त के द्वारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध कारित किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से अभियुक्त के अनन्य कब्जे से बिना वैध अनुज्ञा–पत्र के धारदार तलवार बरामद होना प्रमाणित है। अतः अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

25– परिणामतः अभियुक्त अशोक पिता भैरुलाल सांसी उम्र 40 साल निवासी पट्टी मार्केट, भीलवाड़ा थाना भीमगंज, भीलवाड़ा को अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(हिमांशु गर्ग)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
माण्डल भीलवाड़ा

:: <u>सजा के प्रश्न पर</u> ::

26– सजा के प्रश्न पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब होकर ग्रामीणपेशा व्यक्ति है, काफी लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है, नरमी का रूख अपनाते हुए उसे परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे।

27– सुना गया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि, खराब आचरण, अभ्यस्त अपराधी होने बाबत् कोई रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा घटना वर्ष 2016 की है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

:: <u>दण्डादेश</u> ::

28– परिणामतः अभियुक्त अशोक पिता भैरुलाल सांसी उम्र 40 साल निवासी पट्टी मार्केट, भीलवाड़ा थाना भीमगंज, भीलवाड़ा को अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उक्त अपराध के लिए अभियुक्त को तत्काल ही किसी कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उसने पूर्व में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं किया है तथा वह 10,000/– रुपये की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का बन्ध पत्र छः माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देगा कि वे दौराने अवधि शांति एवं सदाचार बनाये रखेगा अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा बन्ध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने व न्यायालय द्वारा आहूत किए जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित होगा तो अभियुक्त को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। साथ ही अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5 के तहत 2000/– रुपये (अक्षरे 2000/–रूपये) जमा करवायेगा।

29– अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत धारदार तलवार (जप्तीनुसार) को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।

(हिमांशु गर्ग)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
माण्डल भीलवाड़ा

30– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिमांशु गर्ग)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
माण्डल भीलवाड़ा